

Dasve  
25/11/2020



# नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा

समविश्वविद्यालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda

Deemed to be University, Under Ministry of Culture, Govt. of India



पत्र संख्या ननाम/श्वेन-त्सांग पहुँचपथ/0230  
दिनांक 25 नवम्बर, 2020

डॉ. एस. पी. सिन्हा  
कुलसचिव

सेवा में,

डॉ. नेसामणि के., भा.व.से.  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
नालन्दा वन प्रमण्डल,  
बिहारशरीफ - 803216  
ई-मेल - [dlvfonalanda-bih@gov.in](mailto:dlvfonalanda-bih@gov.in)

27/11



विषय:- श्वेन-त्सांग स्मृति भवन पहुँचपथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.4175 हे. वनभूमि का नव नालन्दा महाविहार, समविश्वविद्यालय, नालन्दा के पक्ष में अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके कार्यालय के पत्रांक सं. 5694/अमीन दिनांक 17.11.2020, के आलोक में सूचित करना है कि महाविहार द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम 1980 के तहत प्रासंगिक पत्र (1-16) बिन्दुओं को भरकर चालान की प्रति के साथ अग्रतर कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्नक - यथोपरि।

विश्वासभाजन

*S. P. Sinha*  
(कुलसचिव) 25/11/2020  
नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा

*Dura*

*Usp*  
25/11/2020  
cf-nt

*P.S. G*  
27/11/20

नव नालन्दा महाविहार (समविश्वविद्यालय)

द्वारा

नालन्दा जिलान्तर्गत श्वेन-त्सांग स्मृति मवन के पहुँच पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव पर प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सोलह (१-१६) बिन्दुओं के अनुपालन के संबंध में

i)	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।	स्वीकृत
ii)	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली 1.4175 हे. वन भूमि के बदले में दुगुने अवकृष्ट वन भूमि में नवादा वन प्रमंडलन्तर्गत 3.00 हे. अवकृष्ट वन भूमि छपरा सुरक्षित वन (PF) में चिन्हित करते हुए रु. 21,68,091/- मात्र का क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन तैयार किया गया है। इस निमित्त राशि प्रयोक्ता एजेंसी रु. 21,68,091/- मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी जो परियोजना खर्च के अन्तर्गत होगा।	उपरोक्त राशि e-challan के माध्यम से उपलब्ध करा दी गयी है।
iii)	अपयोजित होने वाली 1.4175 हे. वन भूमि का NPV प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई.), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा। इसके तहत 6.26 लाख रु. प्रति हे. की दर पर कुल रु. 8,87,355/- मात्र को पर्यावरण, वन	राशि उपलब्ध करा दी गई है
iv)	MoEF&CC, नई दिल्ली के पत्रांक 11-42/2017- FC दिनांक 29.01.2018 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन वर्ष 2020 में करने के कारण Panel NPV मद में NPV मद की 20% राशि एवं 12% ब्याज के साथ कुल रु. 1,98,766/- मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी।	हाँ
v)	क्षतिपूरक वनीकरण, NPV एवं Panel NPV मद की कुल राशि (रु. 21,68,091+8,87,355+1,98,766) रु. 32,54,214/- (रुपये बत्तीस लाख चौवन हजार दो सौ चौदह) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराया जायेगा।	Rs. 32,54,214/- की राशि जमा करा दी गई है।
vi)	उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाएगी।	Rs. 32,54,214/- की राशि जमा कर सूचना भेजी जा चुकी है। (चालान की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न कर दी गई है)
vii)	प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।	स्वीकृत
viii)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में मात्र एक सुखे वृक्ष को पातित कर परियोजना निर्माण कार्य परा किया जायेगा।	स्वीकृत

ix)	वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये वन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।	स्वीकृत
x)	वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये वन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।	स्वीकृत
xi)	वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।	स्वीकृत
xii)	वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्यप्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्यकारी एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं।	स्वीकृत
xiii)	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	स्वीकृत
xiv)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।	स्वीकृत
xv)	यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्तों आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।	स्वीकृत
xvi)	उपभोक्ता अभिकरण। रजिस्ट्रार, नव नालन्दा महाविहार (सम विश्वविद्यालय) नालन्दा ] अपयोजित वन भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकार/विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/ अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।	स्वीकृत

J. Jhinku  
25/11/2020  
रजिस्ट्रार/Registrar

वन नालन्दा महाविहार/Nava Nalanda Mahavihara  
(सम विश्वविद्यालय) नालन्दा / (Deemed University) Nalanda

## NEFT/RTGS CHALLAN

## AGENCY COPY

NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA  
05-11-2020

Agency Name	REGISTRAR NAVA NALANDA MAHAVIHARA (DEEMED UNIVERSI)
Application No.	6144225843
MoEF/SG File No.	VAN BHUMI 32/2020
Location	BIHAR
Address	Registrar Nava Nalanda Mahavihara (Deemed University) Nalanda Nalanda
Amount (in Rs)	3254214/-

Amount in Words: Thirty-Two Lakh Fifty-Four Thousand Two Hundred and Fourteen Rupees. Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150626144225843 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

## BANK COPY

NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA  
Date: 05-11-2020

Agency Name	REGISTRAR NAVA NALANDA MAHAVIHARA (DEEMED UNIVERSI)
Application No.	6144225843
MoEF/SG File No.	VAN BHUMI 32/2020
Location	BIHAR
Address	Registrar Nava Nalanda Mahavihara (Deemed University) Nalanda Nalanda
Amount (in Rs)	3254214/-

Amount in Words: Thirty-Two Lakh Fifty-Four Thousand Two Hundred and Fourteen Rupees. Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150626144225843 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Print

Back

*L. Singh*  
25/11/2020  
Registrar

सर्वोच्च न्यायालय/Nava Nalanda Mahavihara  
राजिस्टर (Deemed University) Nalanda